[श्री चतुरानन मिश्र]

ग्रिमिव्यक्ति पर चौट है। हम तो वहां की बात आपसे कह रहे हैं। जर्मनी, जापान जब चलेंगे, तब वहां की बात आपसे कहेंगे। हम तो आपसे इतना ही कहते हैं कि अपने श्रीमुख से इतना कहिए कि बंबई में जो ये जुल्म हो रहा है उसकी हम सकति निदा करते हैं।

श्रीमती सुषम स्वराज: यह तो स्पष्ट है। जिस तरह से चतुर्वेदी जी ने कहा बिल्कुल उसी तरह से मुक्त ग्रिभिव्यक्ति के पक्षधर हम हैं। उसके ऊपर किसी तरह का हमला न वरदाश्त करेंगे, न होने देंगे।

श्री चतुरानन मिश्रः इसका मतलब है है कि माननीय सदस्या उस नेचुरोपेंथी में शामिल नहीं हैं जो वहां चल रही है।

श्रीमती सुषमः स्वराजः शब्दावली और शली तो मेरी रहेगी। बोल तो दिया। और किस तरह बुलवाएंगे आप।

Danger of cancer in Western Uttar Pradesh owin gto consumption of Tobacco

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं त्रापके माध्यम
से केंद्रीय सरकार का ध्यान लोक-स्वास्थ्य
से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या की और
आकॉवत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश
के मैनपुरी और उसके श्रास-पास के जिले
के लोगों के लिए स्वाध्य की दृष्टि से बहुत
ही खतरनाक स्थित पैदा हो गई है।

महोदय- मैनपुरी में सुपारी को काटकर भीर उसमें कुछ अन्य वस्तुएं मिला-कर एक ऐसी तंबाक तैयार की जाती है जिसको मैनपुरी की तम्बाक के नाम से जाना जाता है और इसको खाने से बहुत कड़े पमाने पर मुंह का केंसर हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और आई०सी०एम० आर० ने जो सर्वे कराए हैं उनकी रिपोर्टस के भाधार पर यह कहां जा सकता है कि मुसाम में सर्वोधिक मृंद के केंसर के रोगी

प्रगर कहीं हैं तो वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद और उसके श्रास-पास के इलाकों में हैं।

मान्यवर, ग्रभी तक तो इस तंबाक के खाने से कैवल कैंसर की ही समस्या थीं, पिछले कुछ महीनों से एक नई समस्या ग्रीर पैदा हो गई है। इसके उत्पाद करने वाले और वयवसायी लोग इस तंबाकू में कुछ ऐसा ड्रग मिक्स करने लगे हैं जैसे ग्रफीम है, कोकीन है, जिसकी बजह से 15 साल से लेकर 25 साल के लड़के बड़े पमाने पर इसके ऐडिक्ट हुआ जा रहे हैं। स्कूल श्रीर कालेज जाने वाले लड़के बड़े पैमाने पर इस तंबाकु के माध्यम से इगऐडिक्स हए आर रहे हैं और यह गंभीर समस्या पदा हो गई है। मैं आपके प्साध्यम से दो मांगें गवर्नमेंट से करना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कैंसर के डाइगोनोसिस करने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले 10 सेंटर देश में हैं, उनमें से एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैनपुरी में जहां सर्वाधिक कैंसर के रोमी हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक भी सेंटर नहीं है। मेरी मांग है कि मैनपुरी में एक कैंसर सैंटर स्थापित किया जाए ताकि ऐसे रोगियों के। डाइगोनोसिस श्रीर ट्रीमेंट हो सके।

दूसरे, को व्यापार और उत्पादन करने वालों के केन्द्र हैं उन को सील कर दिया जाए और उनकी जांच कराई जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

Expulsion of three students of Campion School of Bhopal for Singing National Anthem and Resultant discontent among the students

श्री कैलाश नारायण सारंग: (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कैंपियन स्कूल चल रहा है, जिसके सर्वेसर्वा एक स्थानीय चर्च के फादर हैं, के बारे में एक त्रिशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

STATEMENT BY MINISTER

Bill. 1993

Protection Amdt,

महोदय, इस स्कूल के निर्माण के लिए भोपाल प्रशासन ने एक एकड़ भूमि निहायत कम दरों पर उपलब्ध कराई थी इस स्कल में प्रवेश के लिए ईसाई बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और जो नाकी सीटें बच जाती हैं उनके लिए जो परीक्षा का प्रावधान है उसमें ही बच्चे उत्तीर्ण होते हैं जिनके ग्रभिभावक उच्च पदों पर हैं।

महोदय, इस विद्यालय में प्रतिदिन भगवान ईसा मसीह की प्रार्थना होती है. राष्ट्रगान नहीं होता है। पिछले काफी समय से इस स्कूल के कुछ बच्चे राष्ट्रगान को प्रार्थना के रूप में लिए जाने के लिए स्कूल के संचालकों से निवेदन कर रहेथे, लेकिन उनकी प्रार्थना पर ध्यान नह दिया गया। ग्रभी 22 जलाई को इस स्कूल के छात्रों ने प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना के बाद सम्मान सहित राष्ट्रगान गाया। इससे बौखलाकर प्रबंधकों ने राष्ट्रगान गाने वाले तीन प्रमुख छात्रों शफी खान, कपिल चड्ढा ग्रीर नवीन इकवाल को जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, स्कूल से निष्कासित कर दिया है। इससे भोपाल के छात्रों में भारी ग्रसतोष है । इन छात्रों ने स्कूल के समक्ष धरना दिया है, जल्म निकाले हैं, प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। भोषाल के जिलाधीश को उन्होंने ज्ञापन दिया है। भोपाल नगर की स्थिति इस घटना से ज्यादा बिगड़ न पाए, इसलिए मेरा सरकःर से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाए ताकि इस स्कूल में फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो ग्रीर सम्मान के साथ प्रार्थना के साथ-साथ राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही की पियन स्कूल के प्रिसिपल के खिलाफ और वहां के मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा चलाया चाए ।

धन्यवाद ।

Circumtances which necessitated immediate promulgation of the contimer Protection (Amendment) Ordinance, 1993.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER **AFFAIRS** AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement explaining the reasons for promulgating the Consumer Protection (Amendment) Ordinance,

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE CONSUMER **PROTECTION** (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993.

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1993.

और कुष्ण साल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हं.

''यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 1993 को प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 24) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रपनी बात को इसी विषय तक सीमित रखंगा। मैं इस ग्रध्यादेश को निरस्त करने के लिए श्रपनी बात कहंगा क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से मेरे साथी इस बिल के संबंध में विस्तार से बोलने वाले हैं। दो बातें कहनी हैं। एक तो जो यह परम्परा है कि हम विधेयक सदन में लाने के बजाय पहले श्रध्यादेश से उसको लाग करते हैं और फिर सदन के सामने एक विधेयक के रूप में रखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह विश्वेयक पिछले सब यानी बजट सन्न में पारित हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, समय नहीं मिला। एक महीने पहले ही अब

[श्रीकृष्णला**स** शर्मा]

कि यह सदन मिलने वाला है इसको आर्डिनेंस के द्वारा लागू करने का कोई अर्थ नहीं, हाउस में ला सकते थे और उस पर विचार करा सकते थे। एक तो इसका इसलिए विरोध करता हूं कि इस परम्परा को समाप्त किया जाए, मतलब कि जो विषय है उसको ग्रांडिनेंस से लाने के बजाए बकायदा सदन की चर्चा के बाद उसको पारित किया जाए। एक तो इस पर भेरी ग्रांपित यह है।

दूसरी ग्रापत्ति यह है कि पिछले सत में श्रीर इस सत्र में यह जो विधेयक ला रहे हैं इसमें कई नई धारा जोड़ी मई है। ये नई धाराएं उपभोक्ता के संरक्षण के लिए है या उनके संकट के लिए है या उनको परेशान करने के लिए है ? अगर हम इस तरह की कुछ धाराएं ला रहे हैं जिससे हमारे उपभोक्ता संकट में पड़ जायेंगे, श्रीर मैं समझता हूं यही इसका मूख्य कारण है कि मैं इस का विरोध करता हूं। इसको इस समय सदन में प्रस्तुत न किया जाए। इस पर दुबारा विचार करके, इसमें संशोधन ला कर इसको लाया जाए। उदाहरण के लिए मैं धारा 24(क) की तरफ ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हुं। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी शिकायत एक वर्ष के भीतर अगर नहीं की गई तो उस पर विचार नहीं होगा। एक वर्ष तो गारण्टी, वारंटी का पीरियड़ होता है, एक वर्ष तो वैसे ही निकल जाता है। कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कम से कम 3 वर्ष का समय दिया गया है। एक वर्ष के बाद श्रगर कोई उपभोक्ता चाहता है कि हमारी शिकायत दर्ज हो, चाहे जिला पीठ में ो या प्रदेश के भ्रायोग में हो या राष्ट्रीय ायोग में हो तो उसको पहले सभी स इस बात के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। उसको जस्टीफाई करना पड़ेगा कि मेरी कम्पलैंट में देरी नयों हुई उसकी फिर सबसे माफी मग्ननी पड़ेगी कि मेरी को कम्पलेंट है वह जस्टीफाईड है मुझे माफ कर दीजिए। एक साल के बाद

कम्पलंट फाइल करने की अनुमति ईं जाए। मैं समझता हूं इससे उपभोक्त को परेशानी होगी। एक तरफ से एव हाथ से सुविधा देंगे और दूसरे हा से छीन लेंगे। यह प्रावधान जो 24(क) में दिया गया है निकाल देना चाहिए तीन वर्ष की अवधि होनी चाहिए एवर्ष की नहीं। इसी कारण से मैं इसक विरोध करता हूं। मैं समझता हूं इस पर विचार करके इसे दुवारा लाय जाए।

एक बात और कह कर अपनी बाः समाप्त करूंगा। जितने भी हम लो उपभोक्ता में चीजों को लेते हैं ब्यापः रूप से दो सेवाएं रेल सेवा ग्रीर डाः सेवा को इससे भ्रलग कर देते हैं उसके बारे में तर्क यह है कि उस लिए हमने अलग से ट्राइब्यूनल बना हुए हैं। श्रौर उनको वहां पर श्रवस मिल जाता है। मेरा यह कहना है हि किसी भी विभाग में कोई ट्राइब्युन हो उसमें उनको जाने का अवसर होन चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकि इस कारण से किसी भी उपभोक्ता व जिला पीठ में या प्रदेश श्रायोग में र राष्ट्रीय आयोग में जाने के लिए उस प प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहि भौर इसलिए मेरा कहना है कि जो सेवायें, व्यापक भ्रौर महत्व की सेवा हैं जिनसे हमारा उपभोक्ता त्रस्त भी ग्रौर उसमें काफी लोग ग्रा जाते 🗄 इसलिए रेल सेवा, डाक तार सेव **ऋौर क**हीं कहीं डाक्टरों को भी उस रखने का सुझाव दिया गया है, 🖁 सारी चीजों पर विचार करके, समझता हूं कि यह जो विधेयक ह लाये हैं, इसे पारित करवाना चाह हैं, स्वीकृति लेना चाहते हैं, इसके संबं में मैं निवेदन करूगा कि इसको इ समय निरस्त करके दुबारा इसको तैया करके लाया जाय तो ग्रच्छा होगा मैं समझता हूं कि चर्चा में ये दोः बातें विचार में ग्राएंगी। इतनी बा **कह कर मैं भपने डिसग्र**प्रवल के संकत को मुव करता हूं। इस बारे में मे पार्टी के दूसरे सदस्य बोलेंगे।

249

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMERS AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): Sir, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986, be taken into consideration."

Sir. I am sure that the entire House will appreciate the concern anxiety shown by the Government. Instead of waiting for a long time to pass a regular Bill, as soon as the last Session was over, the Government brought an or, dinance to fulfil the aspirations of the consumers organisations because from and consumer the Consumer Protection Council there was a unanimous request that since the Government was not able to pass the Bill, Government should take immediate promulgate an ordinance. was almost a unanimous request in the Consumer Protection Council. Not only the request was made from the Protection Council, but we have Consumer also got representations from various consumer organisations and many others who are activiely engaged in this respect that Government sould Viot wait till a Bill is passed in the next Session; otherwise, it will create a lot of problems in the functioning of the Consumer Forums because in certain States there were no full-time district forums and in other States there was demand for more than one forum in one district because the number of cases was large. Moreover, in some States they have already started the process of selection of members. In the stage in many States actually they have not shown the desired attention to find out suitable persons for the Consumer Redressal Forums. That is why this Bill we are making a provisions for a Selection Committee for the selection of the members of district forums. So unless by way of an ordinance that provision is introduced, the process of selection will remain incomplete in the States and the purpose of making a provision for Selection Committee will be totally a futile exercise. Because of the unanimous request from the Consumer Protection Council and also the innumerable representations got from vanous active consumer organisations bv the Government and in order to fulfil their aspirations the Government mulgated the ordinance without waiting for the Bill being passed by both Houses of Parliament. I the House will appreciate the sincerity and concern of the Government in bringing the ordinance: We thought that the Members would appreci-4.00 p.m. ate, our concern and sincerity and that is why, instead of waiting till the session, we immediately promulgated the Ordinance. That is the main thing. I am sure that after hearing this explanation hon. Members will appreciate why we took this step of promulgating the Ordinance. With these few words, I would request the hon. Members to realise our concern.

The questions were proposed-wise THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now we will take up the Sta. tutory Resolution and the motion for consideration of the Bill together. Shrimati Sushma Swaraj.

श्रीमती सुवना स्वराज (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी उपभोक्ता संरक्षण (संगो-धन विधेयक, 1993 पर इस समय है सदन में चर्चा चम रही है। मैं कुछ प्रापत्तियों, कुछ मांगों और कुछ प्रस्तों के साथ श्रपनी बात इस विधेयक पर रखना चाहंगी।

उपसभाध्यक्ष जी, ब्राप जानते हैं कि उपभोक्ता श्रांचोलन भारत में बहुत पुरान् नहीं है। पिछले कुछ वर्षों तक भारत का उपभोक्ता यह माने हुए था कि उसे जिस किसी भी गत्य में कितने भी दाम में चीज मिले, कैसे भी नोल में मिले, उसको जस का तस खरीदना उसकी नियति है। यह तो 1986 में यह बिल, उपभोक्त' संरक्षण ब्रधिनियम जब पास हम्रा तो इस अधिनियम ने पहली बार यह श्रहसास कराया कि ऐसी वैसी चीज खरीदना उसकी नियति नहीं है बल्कि सही दा! में, सही दाम में, सही बीज

[श्रीमती सृष ा स्वराज]

खरीदना उसका ब्रधिकार है । लेकिन मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहंगी कि इस बिल को गति पकड़ाने में काफी समय लगा और इस बात को मैं प्रमाणित कर सकती हूं। 1986 में यह विल पास हम्रा था, कानुन बना था श्रीर 1988 में मैं हरियाणा में मन्नी बनी थी और संयोग से यही महकमा संभालने का दायित्व मझे दिया गया था---खाद्य भ्रौर त्रापूर्ति विभाग। सन 1988 में मैंने जाकर पाया कि इस बिल के त≧त गठित की जःने वाली उपभोक्ताः परिषद, जिला फोरम और राज्य फोरम का गठन तो दूर, उनके गठन की कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी। 1988 में अपने कार्येकॉल में मैंने उपभोक्ता परिषद बनायी श्रीर वहां जिला फोरम स्रौर राज्य फोरम का गठन किथा। यह कहानी केवल हरियाणा की ही नहीं, बाकी राज्यों में भी दो-दो वर्ष ग्राम लगे हैं, इस बिल को गति पकड़ाने में, इस जिल को अमली जामा पहनाने में। लेकिन मैं यह रिकार्ड कराना चाहंगी कि राज्यों से ज्यादा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भूमिका इस म्रांदोलन को प्रभावी बनाने में ज्यादा सराहमीय रही है। भ्राज जो यह संशोधन मंत्री जी लाये हैं, मैं यह कहना चाहंगी कि यह संशोधन भी उन्हीं संगटनों, जो उपभोक्ता भ्रांदोलन के क्षेत्र में काम रहे हैं, उन्हीं स्वैच्छिक संगठनों के दवाव और कार्य के कारण ही लाया गया है। मझे मालम है कि उपभोक्ता परिषद की बैठक में इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों ने इस जिल में जो खामियां .वे देखते थे, **काम** के दौरान जिस कठिनाई को वे ग्रन्भव करते थे, उन ब्रहसासात को, उन भावनाओं को वे उपभोक्ता परिषद में रख़ते थे और इसी के कारग विकिश ग्रुप का गठन किया गया। इस विकिंग ग्रंप ने ग्रंपनी जो सिकारिशात मंत्रालय के पास भेजी थी. उन्हीं सिफारिशात को ग्रापने इस बिल के अंदर जोड़ा है और एक संशोधन के रूप में ग्राप इसको लेकर ग्राये हैं। जिन सिफारिशों को स्रापने जोड़ा है

वें स्वागत के योग्य हैं ग्रीर उनका हम यहां सदन में भी स्वागत करेंगे ग्रीर उनमें जो कुछ उल्लेखनीय है उनका भी मैं यहां पर उल्लेख करना चाहंगी।

Bill, 1993

Protection Amdt.

जैसे सबसे पहले यह एक श्रच्छा संशोधन भ्राया है कि उपभोक्ता समह, क्लास ऐक्शन कम्पलेंट्स जिनको कहते हैं उसका प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसकी मैं सराहना करती हं। पहले ग्रगर एक ही व्यक्ति के हाथों से दस लोगों को नुकसान होता था तो कानुन इस बात की पाबंदी लगाता था कि हर व्यक्ति जाकर ग्रपना केस भ्रलग से दायर करे। उनमें कुछ लोग केस दायर करते थे कुछ नहीं करते थे, कुछ **असुविधा महसूस करते थे। लेकिन ग्रब** जो यह संशोधन लाया गया है, इस संशोधन के जरिये ग्रापने यह तय किया है कि उपभोक्ता समृह स्वयं कम्पलेंट, शिकायत फाइल कर सकता है और एक व्यक्ति के हाथों ही उन लोगों को जो नुकसान हमा है उसके लिये सब को ग्रलग से मामलात ले जाने की, केस दायर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्लास ऐक्शन के तौर पर वह शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसलिये उपभोक्ता ग्रांदोलन को झागे बढाने में. उसको प्रभावी बनाने में आपने एक प्रभावी भमिका निभाने का काम किया है। यह एक अञ्च्छा उठाया गया कदम है। क्योंकि इससे जल्दी सुविधा होगी और ज्यादा से ज्यादा शिकायतें इसमें दर्ज होंगी। जो व्यक्ति ग्रपने ग्राप जाने में परहेज करता था, नहीं जाता था, जो एक निषेधात्मक जीज थी, एक पांबंदी थी, वह ग्रब समाप्त होगी ग्रीर उपभोक्ता सम्ह साम्हिक तौर पर जाकर यह शिकायत पेश कर सकेंगे। यह एक स्वागतयोग्य संशोधन है। इसी तरह से क्रापने इस कानुन के अधिकार क्षेत्र में केवल घरत रखे रखी थी। ध्रगर किसी वस्तु को ग्रापने खरीदा, वह वस्तु खराब साबित हुई तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए क्राप जा सकते ये लेकिन अगर ग्राप किसी को पै। दे कर सेवाएं लेते ये ग्रीर उन सेवाग्रों को देने में वह नाकामयाब रहता

253

भा उन सेवाओं में कुछ खराबी था कभी रहती थी तो ग्राप इस केस को कानुन के तहत नहीं ले जा सकते थे क्योंकि कोई प्रावधान इस बिल में ऐसा नहीं था। पहली बार ग्रापने गृड्ज के साथ साथ सर्विसेज को, सेवाग्रों को भी इस क्षेत्र में दिया है, इसके दायरे में लिया है। यह एक स्वागतयोग्य चीज है। इसका मैं यहां पर खास तौर पर जिक्र कारना चाहंगी क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत ग्रनुभव भी रहा है। हरियाणा में जब मेरे पास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी तो हाऊर्सिंग विभाग भी था। मैंने प्रमाणिक तौर पर जा कर के देखा लोगों ने जब यह शिकायत की कि हाऊसिंग बोर्ड ने जो मकान बनाए हैं श्राप उनको एक बार देखें। मैं यह कहना चाहती हूं कि प्राप श्रंगुली से खरोंचिए, श्रंगुली से स्राप दीवार पर खरोंच मारिये तो भुर भुर कर के सारे के सारा रेता नीचे गिरता था। सीमेंट की जगह केवल रेता भर दिया जाता था। मेरा यह व्यक्तित अबुभव वहां का हैं। दिल्ली में म्राकर के मैंने डी.डी.ए. के मकानों को देखा। बिलकुल वही हाल है। मकान बनते पीछे हैं और गिर पहले जाते हैं। ग्रलाट-मेंट में धांबलियां होती हैं, कंस्ट्रक्शन में और भावंटन में धांधलियां होती हैं। जो चीज उनको दी जाती है, जिस चीज का पैसा पूरा वसुला जाता है, मकान के नाम पर खंडहर हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन किसी तरह की कोई राहत उपभोक्ता को उपअब्ध नहीं है। पैसा दे कर उस खंडहर में जा कर के बैट जाइये सिर्फ यह सोच कर के जैसा है तैसा है छत के नाम पर कुछ मिल गया, ग्रादमी उसके ग्रन्दर चला जाता था लेकिन किसी तरह की कोई राहत उसको उपलब्ध नहीं थी। ग्रब हाऊसिंग. र्मावसेज, ग्रलाटमेंट, कंस्ट्रक्शन मेटिरियल, इन चीजों के ऊपर धगर ध्रापको कोई शिकायत है तो श्राप उपभोक्ता फोरम के घन्दर अपनी शिकायत दर्ज करवा कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। यह जो श्रापने इसका दायरा बढाया है, इसका र्में स्वागत करती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से

पहले कर्माणयल यूज की परिभांषा थी।
यदि कर्माणयल यूज के लिए खरीवों
हुई वस्तु का नुक्सान होता है तो ग्राप
इस उपभोक्ता फीरम में नहीं जा सकते
थे। ग्रव ग्रापने जो बात कही कि सेल्फ
रोजगार में लगे हुए लोग ग्रगर ऐसी
वीज खरीदते हैं जिससे उनकी रोजीरोटी चलती है या ऐसी मशीनरी जिसके
उपर काम कर के उसको रोजा-रोटी
चलती है, उसमें कोई गलती पाते हैं
तो उसके नुक्सान की भरपाई के लिए
उपभोक्ता फीरम में ग्रपना केस दर्ज
करवा सकते हैं। यह भी एक स्वागतयोग्य संगोधन है।

चौथ संशोधन, जिसकी में बहुत सराहना करना चाहुंगी, जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण संशोधन मानती हूं, वह यह है कि पुं⇒ं बार इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में पने उपभोक्ताओं को सुरक्षा का श्रक्षिकार दिया है और सुरक्षा के त्र्रधिकार को मान्यता दी हैं। **ग्राज** से पहले ग्रगर ग्रापने खद कोई चीज खरीदी श्रौर वह खराब निकल गई तो उसके नुक्सान की भरपाई के लिए आप जा संकते ये लेकिन कोई भी चीज जो वाजार में है ग्रौर उसका उपभोग पूरे उपभोक्ता समुदाय की सुरक्षा के लिए वातक है तो कोई प्रावधान इस बिल में ऐसा नहीं या जिसके माध्यम से ग्राप फोरम में जा सकते थे। भ्रापको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं। कहीं कोई नकली दवाएं हैं, ग्लुकोज या स्पूरियस ड्ग्ज का अंबार है, सब-स्टेंडर्ड गेंस सिलेंडर बाजार में र तो वह कोई एक रे का पूरा गोदाम सिलेंडर 🌝 🗀 भरा हुआ है, आपको मालूम है वह उपभोक्ताचों के लिए नुक्सानदेवे चीज, है लेकिन इस **फान्न में कोई प्रावधान** न होने के कारण ग्राप शि**कायत दर्ज** ी करवासकतेथे क्योंकि उसमें यह कहा जाता या कि इसमें भ्रापकी कोई व्यक्तिगत नुक्सान हुन्ना है तो ग्राप जाइय, भरपाई कर देंगे लेकिन इस तरह की चीज जो उपभोक्ता समुदाय के लिए सूरक्षा के लिए घातक चीज हैं जिसको हम हेजाडस कहते हैं वह इसमें नहीं या लेकिन मुझ इस बात की खुशी

Protection Amdt,

[श्रीमती सूचमा स्वराज]

है कि अब आपने सब सेक्शन 2 में उपधारा (4) (डी) के तहत उसकी भी जो उपधारा (4) है उसके ग्रागे नयी धारा 5 जोड़ी है जिसमें ग्रापने यह कहा है-

"goods which will be hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public in contravention of the provisions of any lav/ for the time being in force requiring traders to display information in regard to the contents, manner and effect of use of such goods."

हांला कि योड़ी सी पार्वदी इसमें ब्रापन लगायी हैं:

"...in contravention of the provisions of any law for the time being in force...

ले**किन तो** भी मैं यह समझती हैं कि यह इतना स्वागत-योख प्रावधान है कि अब आप केवल अपने को जो नुक्सान **है उसी समय पर नहीं बल्कि एसे** समय पर भी जब भी कोई चीज बाजार में ग्रा गयी जो सारे उपभोक्ताग्रों की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है तो इस नयी धारा के जुड़ने के बाद इस बिल के माध्यम से उपभोक्ता फोरम के सामने जा सकते हैं भ्रौर राहत प्राप्त कर सकते **हैं। यह एक बहुत** ही स्वागत योग्य संशोधन है।

इसके बाद एक श्रीर संशोधन है जिसका मैं स्वागत करना चाहती ह जिसका संशोधन श्रापने धारा 9 में किया है। घारा 9 में पहले यह प्रावधान था कि एक जिले में केवल एक फोरम गठित किया जा सकता है। धारा 9 डिस्ट्रिक्ट फोरम के कांस्टीटयूशन से संबंधित है। लेकिन पहली बार इन्होंने शायद इस बात को देखा कि या तो किसी जिले का फैलाव इतना ज्यादा होत∤ है---इमारे देश में इतने बड़े बड़े राज्य हैं और उनके कई जिले इतने बड़ेम्बड़े हैं कि हमारे छोटे राज्यों से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल हैं उनका, धौर एक प्रकेले

जिसे में इतमी जनसंख्या है कि वहां **अम्बा**र लग जाता है शिकायतों श्रौर वह जिला फोरम पूरा नहीं कर पाता है। तो ग्राज ग्रापने यह एक पाबंदी हटायी है कि एक जिले में एक ही फोरम होगा ग्रौर यह कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो एक जिले में दो फोरम भी बना सकती है, ज्यादा फोरम भी बना सकती हैं तो आवश्यकता-नुसार वह ज्यादा फोरमों का गठन कर सकते हैं। यह युझाव भी स्वागत योग्य है। यह भी वर्किंग ग्रुप की की हुई सिफारिश थी जिसको ग्रापने माना जिसके लिए ग्राप बधाई के पात हैं।

Bill, 1993

इसी तरह से ग्रापने विसीय प्रधिकार क्षेत्र बढाया है। धारा 11 श्रीर 17 दोनों में भ्रापने संशोधन किया है, जहां स्टेंट के वित्तीय ग्रधिकारों का जिक हैं ग्रीर नेशनल फोरम के ग्रधिकारों का जिक है। पहले पाइंदी थी कि जिला फोरम केवल एक लाख से कम तक के विषय ले सकता है लेकिन ग्रव भापने तय किया है पांच लाख तक के यानी नाट एक्सीडिंग फाइक लेख्स रुपीज। जो ग्रापने नया प्रावधान किया है उससे विसीय अधिकार बढ़े हैं, जहां मुग्रावजा देने की भ्रापकी ताकत बढ़ी हैं बहीं यह जो ग्रधिकार क्षेत्र श्रापका था कि पहले एक लाख से कम तक की चीज का नुक्सान होता या तो वह जिला फोरम पर ग्रा सकता था वरना उसको राज्य फोरम पर जाना पड़ता था--आज आपने यह तय करके धारा 11 में जो सेशोधन किया है कि एक लाख से कम तक नहीं बल्कि पांच लाख तक का सम्रावजा क्लेम किया जा सकता हैं जिला फोरम के द्वारा ग्रीर पांच लाख से बीस लाख की सीमा जी ग्रापने बढाई है राज्य की, यह भी स्वागत योग्य है। जब वित्तीय श्रधिकार क्षेत्र बढ़ जाते हैं तो श्रासान हो जाता है किसी उपभोक्ता के लिए वहां जाना इसकी भी मैं सराहना करती है। इसी तरह से धारा 9, धारा 16 और धारा 20 में जहां राज्य फोरम, जिला फोरम, राष्ट्रीय फोरम के गठन का प्रावधान है वहां गैर सरकारी सदस्यों के जहां चुनाव की बात बाती भी तो घाम तौर

पर उपमोक्ता परिषद के द्वारा जितनी भी बैठकें मैंने उनकी भ्रटेंड की हैं शिरकत की है वहां बार-बार मैंने देखा है कि राजनीतिक दखलग्रंदाजी का एक भ्रारोप बार-बार लगता हैं कि गैर सरकारी सदस्यों के चूने जाने में राजनीतिक दखलग्रंदाजी की जा रही है। यहां जो भ्रापने चयन समितियों का प्रविधान किया है कि सिलेक्शन कमेटीज बना दी हैं और यह कहा है कि इन सिलेक्शन कमेटीज के माध्यम से गैर सरकारी सदस्य चुने जाएग, यह भी आपने उस राजनीतिक दखलग्रंदाजी के भ्रारोप को कम करने की तरफ एक कदम उठाया हैं जिसका कि मैं स्वागत करना चहनी।

एक बात जिसका में ग्रीर स्वागत करूंगी, ये सारी बातें करने के बाद कि एक धारा 26 जो पहले थी उसमें केवल इतना प्रावधान था कि अगर कोई गर जरूरी या अनावश्यक, फ्रिबोलस कम्प्लेंट मा जाती है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। वह डिसमिस कर दी जाएगी यह तो एक स्वाभाविक परिणित थी ग्रगर वह गलत हो तो। लेकिन मनावस्यक शिकायतों को रोकने के लिए कोई डिटरेंट प्राविजन नहीं था। पहली बार श्रापने धारा 26 की जब्दावली बदली है भीर जहां भ्रापने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने की तरफ कुछ कदम बढ़ाये हैं वहां ग्रनावश्यक **भौर गैर-जरूरी शिकायतों**, फिवोल्स कम्बोट्स का ग्रम्बार न लगे वे ज्यादा न ग्रामें इसके लिए एक डिटरेंट स्टैंप सुझाया हैं कि ग्रगर उनको यह लगेगा तो वे लिखित में रीजन्स रिकार्ड करेंगे, यह भ्रापने क्वालीफाई कर दिया है। यह म्रापने ग्रच्छा कर दिया है कि वेलिखित में कारण बता करके उस कम्प्लेंट को डिसमिस करते वक्त दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। यह जो एक डिटरेंट स्टीप हैं इसका भी मैं स्वागत करती है। ग्रब तक तो मैं ग्रापको कडोज दे रही थी, ग्रापको बधाइयां दे रही थी जो ग्रापने काम किया। लेकिन ग्रब मेरी कुछ ग्रापत्तियां हैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहंगी। मंत्री महोदय. ग्रापने गुड्स के साथ सिंवसेज शब्द को जोड़ा है। मैंने इसका स्वागत भी किया है। हाउसिंग की जो बात श्रापने कही उसमें थोड़ा सा विस्तत बात कहकर मैंने उसका स्वागत किया है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं श्राता कि इन सिंवसेज शब्द को जोड़ने के बाद वे तमाम श्रावश्यक सेवाएं जिनकी इनइफीशियंसी से जिनकी गर-कायकुंशलता से उपभोक्ता परेशान रहते हैं उन तमाम सेवाग्रों को ग्रापने इस कानून के श्रधिकार क्षत्र से बाहर क्यों रखा है। जसे परिवहन है, ट्रांसपोट है, विजली है। टेलीफोन है, नगरपालिका है, सरकारी श्रस्पताल हैं।

अभी मेरे विरिष्ठ साथी, श्री क्रु॰ण लाल जी रेलवे और डाक का जिक कर रहे थे। अब रेलवे और डाक में तो इनकी थोड़ी सी दिक्कत यह ग्रा गई कि वह नेशनल फोरम के ग्रपने निर्णय है, उन सेवाओं को इस कानून के दायरे में लेने के खिलाफ ग्रा गये।

शायद आपने पढ़ा भी हो, पीछे के दो के सेज हुए हैं, एक तो रेलवे का केस हुग्रा। मद्रास का केस था, शायद यहां मेरे मद्रास के बैठे हुए कुछ साथियों को पता हो--एक केंस दायर हुन्ना था, किसी उपभोक्ता ने दायर किया था। वहां तिस्नेलवेली नाम से एक ज़गह है, उस तिक्तेलवेली से बालासोर तक कोई गृड्स उसने भेजे थे, लेकिन वह रास्ते में खो गये, पहुंचे नहीं। जब वह रास्ते में खो गर्य तो उसने जाकर के जिला फोरम के इंदर शिकायत दायर की। उसने कहः कि एक उपभोक्ता के नाते रेलवे के खिलाफ शिकायत दायर करना मेरा फर्ज है और जिला फोरम ने, उपसभाध्यक्ष जी, सुनने की बात है, जिला फोरम ने राहत दे दी यह सीच करके कि रेलवे भी इसकी परिधि में ब्राता है, जिला फोरम ने उसकी अपील पर सही निर्णय दे दिया और कह दिया रेलवे के खिलाफ उसने राहत दे दी। लेकिन उसके बाद रेलवे का विभाग ग्रपील में जब राज्य फोरम में गया तो राज्य फोरम ने उस डिसीजन को भाधा-

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

अध्राक्तर दिया, थोड़ी राहत दी, थोड़ी नहीं दी। लेकिन फिर वह ग्रपील में गये राष्ट्रीय फोरम में ग्रीर मुझे इस बात का दुख है कि राष्ट्रीय फीरम ने कंप्लीट इम्मय्निटी ग्रांट कर दी भौर यह कहते हुए कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल चृंकि धलग बना हुआ है, एक ग्राल्टरनेट रेमेडी, एक ग्रंदर रेमेडी ग्रवेलेबल है, यानी एक दूसरा इलाज उपलब्ध इसलिए ज्ञाप इस कंज्युमर फोरम के सामने नहीं आ सकते, यह कह कर एक ऐसा निर्णय दे दिया कि जो राज्य फोरम यह ग्रंदाजा लगाये बैठे था कि रेलवे हमारे ग्रिधिकार क्षेत्र में श्राता है ग्रीर जो इस बात को समझते हुए रेलवे के खिलाफ श्रीर निर्णय देते, उसके बाद उनके हाथ बंध गये क्योंकि उसके ऊपर की जो एपीलेट अथारिटी थी, उसका यह निर्णय ग्रा गया कि रेलवे उनके ग्रधिकार क्षेत्र में नहीं ग्राता।

बिलकुल ठीक इसी तरह का एक केस डाक विभाग के संबंध में भी हुआ। भापको ध्यान होगा शायद, मदास के एक डाक्टर ने छह सी निमंत्रण-पत्न एक दावत के भेजे ग्रौर केवल दो सी निमंत्रण-पत्न पहुंचे। उसने जब लोगों से पता किया मि तुम क्यों नहीं दावत में आए, तो उन्होंने कहा कि भ्रापका कोई इन्वीटेशन श्राया ही नहीं। तो उसको लगा कि जब बराबर लोग यह कह रहे हैं कि इन्वीटेशन नहीं ग्राया, तो जरा पता तो करूं। तो उसने जांच करवाई ग्रीर छानवीन के बाद पता चला कि वह इन्दीटेशन डिलिवर ही नहीं हुन्ना। उस दावत के कार्ड बंटे ही नहीं थे। तो उसको लगा कि एक उपभोक्ता के नाते उसे जिला फोरम में जाना चाहिए और वह जिला फोरम में गया ग्रौर जिला फोरम ने उनको राहत दी। पोस्टल विभाग के खिलाफ उनका केस सही मायने में तय किया और राज्य फोरम ने भी राहत दी। डिस्ट्रिक्ट ग्रीर. स्टेंड दोनों फोरम्स ने यह मानते हुए कि डाक विभाग हमारे अधिकार क्षेत्र में भाता है, उसको राहत दी।

लेकिन फिर डाक विभाग अपील में चले गये नेशनल कमीशन के सामने और राष्ट्रीय फोरम ने बिलकुल वही तर्फ देकर जो तर्क रेलवे के बारे में दिवा था कि पोस्टल विभाग के लिए रेमेडी शलग से उपलब्ध है और ग्राप सिविल सुट फाईल कर सकते है, ब्राप उसमें जाइये और उनकी यह कह दिया कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में महीं श्राता ।

तो जिस बात का जिक्र कर रहे थे कृष्ण साल जी, उसके बारेमें तो मैं तो कहना चाहुंगी कि राष्ट्रीय फोरम के श्रपने दो निर्णय ऐसे श्रा भये. जिसमें इन्होंने रेलवं श्रीर डाक को **बाहर कर** दिया, लेकिन प्रधर इस तर्कको हम भाष लेंगे, तो इस तरह से तो फिरटेलीकास्ट सर्विसेज भी निकल जायेगी, टलीफोन सर्विसें भी निकल देयेंगे फेक अविसे भी निकल जायेंगे प्रीर प्राप मुझ बकाडये कि दूसरा इलाज जो उपलब्ध है, प्रधर वह कारगर हीता, ती उपभोक्ता फीरम की श्राबरपकता ही क्यों महसूस होती । सिविल सूट्स में कभी किसी को समय पर राहत भिली है वर्षों-वर्षों दीवानी श्रदासतों में खर्च हो जाते, हैं, वकीलों को पैसा दीजिए, दिसयों साम तक श्राप मुकदमा भगतिये भ्रीए उसके वाद डिस्ट्रिक कीर्ट के सामने ग्रंपील, उनके बाद हाई कोर्ट में भ्रपील भ्रीर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भ्रतील, बीसियीं साल लग जायेंगे श्रीर बीसियों साल के बाद जो दावत के लिए उसने इन्वीटेशन दिया हीमा, इस दावत का पूरा प्रकरणही समाप्त हो जाएगा शुःहद जिस वच्चे के जन्म-दिन पर इन्वीटेंशन दिया होगा, बीस साल के बाद उस बच्चे की शादी पर कार्ड भेजदे होंगे, तब जाकर कहीं उसकी राहत मिलेगी।

उपभोक्ता फोरम तो बनाया ही इसलिए गया था कि यह सस्ता और शीघ न्याय उपलब्ध करावेगा । प्रगर यह सस्ता श्रीर शीझ न्याय उपलब्ध करवाने के अपर यह तर्क बढ़ा दिया जाए कि बाकी के फोरम उपलब्ध हैं, तो यह तर्क बहुत बेहुदा लगता है मुझ ग्रीर इस तर्क के चलते ब्रगेर उन फोरम्स में से इनको निकाल दिया जाए, तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा---यह मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वे संशोधन करके इन सर्विसेज को भी इसमें लायें। यह भी मेरी मांग है।

यह तो रेलवे श्रीर डाक विभाग के वारे में है, लेकिन ग्रव मैं इनसे पूछना चाहती हूं—विकाग ग्रुप की एक स्पेसिफिक सिफारिश है कि सरकारी अस्पतालों को इस कानून की परिधि में लाया जाए। मैं मंबी जी से सीधा सवास पूछना चाहती हूं कि विकाग ग्रुप की वाकी सिकारिशों को मानते हुए इस सिफारिश को नजरशंदाज क्यों क्या गया?

एक तर्क जरूर दिया जाता है स्रौर वह तर्क यह है कि फी सर्विसेज, नि:श्लक दी गई सेवार्थे इसके नीचे नहीं ब्रायेंगी, इसके दायरे में नहीं श्रायेंगी। तो मैं पूछना चाहती हं कि क्या वाकई सरकारी अस्पताल निःशस्क सेवाएं दे रहे हैं ? वैसे तो अब जो मेडिकल टैस्ट्स पर इन्होंने चार्जेज लगाए हैं उससे इनका यह तर्क भी बेम।यनी हो जाता है। अब तो अगर श्राप अल्ट्रा-साउंड टैस्ट कराने जास्रो तो म्रापको 150 रुपये देना पड़ेगा । ग्रन्य कोई टेस्ट कराने जाग्रो तो भी रुपया देना ५ ड़ेगा । अब तो ये सर्विसेज फी नहीं रहीं। लेकिन यह जो फी की बात ग्राप करते हैं, क्या वा**क**र्ड आप की सर्विसेंस दे रहे हैं ? कहाँ से चला रहे हैं ये ग्रस्पताल ग्रगर वह गरीब नहीं दे रहा है तो उसका कोई सम्पन्न भाई-बहन टैक्स पेयर के नाते से, करदाता के नाते से जो पैसा धापको दे रहा है, उस पैसे से श्राप यह अस्पताल चला रहे हैं। सरकार भ्रपने घर से चला रही है ? या ग्रयनी जागीरों ग्रीर एस्टेटों से पैसे लगा करके मंत्री ग्रीर प्रधान मंत्री ने ग्रस्पतालों को चलाया है ? कहां से म्राप नि:शुल्क सेवाएं दे रहे हैं ? फी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं बल्कि हिन्दुस्तान के मेहनतकश ब्रादमी के कमाए गए पैसे से दिये गए कर से, टैक्स से धाप यह घस्पताल चला रहें हैं। ग्रगर वह गरीब नहीं देखा है तो उसका कोई दूसरा

भाई-बहन दे रहा है। अगर वह गरीब है और वह आपके पास कोई सर्विस लेने के लिए जाता है तो इसके क्या मायने हैं कि उसको कोई जीने का अधिकार नहीं हैं ? श्राप उसको गिनी पिग बना करके तरह-तरह का प्रयोग हिन्दुस्तान के गरीब पर करना चाहते हैं ? सिर्फ इसलिए कि उसकी जेब में पैसा देने की ताकत नहीं है। यह कौन सा तर्क है? सिर्फ इसलिए कि वह पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए उसका कोई अधिकार नहीं है एक उपभोक्ता के नाते उस उपभोक्ता फोरम में जाने का। इसलिए भ्राप उसको इनएफीसिएंट सर्विसेष वे सकते हैं, इसलिए ग्राप उसकी गंदा ग्लूकं।ज चढ़ां सकते हैं, इसलिए आप उसके टैस्ट में धांधली और गड़बड़ी कर सकते हैं। अगर धांधली और गड़बड़ी ही तो उसको रोने का भी कोई ग्रधिकार भ्राप नहीं देंगे। यह कौन सा तर्क है ? यह कसी सोच है ? मैं कहना चाहती हूं कि भ्रापकी यह सीच केवल अन्यायपूर्ण नहीं है बल्कि ग्रापकी यह सोच ग्रमानवीय भी है। इसलिए मेरी मांग है संसद् के इस फर्श पर, सदन के इस फर्श से कि ग्राप जो संशोधन लाए हैं उसमें एक और संशोधन करके "गवर्नमेंट रन हॉस्पीटलज" सरकारी अस्पतालों की सेवाग्रों को इस उपभोक्ता फोरभ के दायरे में लाइये।

इसी तरह मैं नागरिक सुविधाओं के बारे में जानना चाहती हूं वर्षिंग ग्रुप ने यह भग सिफारिश की थी, मैं सिविक सर्विसेज की बात कर रही हूं मंत्री जी, नगरपालिकाए विजली के दर बढ़ायेंगी लेकिन अगर किसी के घर की विजली खराब हो जाए तो कभी कोई हफ्तों तक ठीक करने नहीं ग्राएगा । ग्रगर कोई स्ट्रीट लाइट या कोई बल्ब खराब हो आए, कोई ट्यब प्रगर खराब हो जाए, महीनों वे बदले नही जायेंगे। सड़क श्रगर कहाँ से दूट गहें है तो उस पर पेबंद लगाने का काम नेगरपालिका नहीं करेगी । जगह-जगह गंदगी पड़ी है, कूड़ा-कचरा पड़ा है उसको उठाने का काम कोई नगरपालिका नहीं करेगी, लेकिन महीने की पहली तारीख हुई नहीं कि स्युनिसिपल टैक्सेज का बिल ग्रापके घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा।

[श्रीपती सुषमः स्वरःज]

क्यों ? भ्रगर वह टेक्सोयर, तरह-तरह के म्युनिसिपल कर हैं. पानी का, विजनी का, तरह-तरह के म्यनिसियल टैक्सेज़ हैं जिन्हें नगरपालिकाएं असूल करेंगी। लेकिन नागरिक सुविधायों के नाम पर उनको शुन्य प्रदान करेंगी और फिर बहु उपभोक्ता रो नहीं सकेगा। वह उपभोक्ता कहीं जा करके राहुत मांग नहीं सकेगा। ग्रगर वह वही उनमोक्ता फोरम के अन्दर जाना चाहे तो म्राप उसके हाथ बांध देंगे, क्योंकि भ्रापने संशोधन करके इन सेवाओं की उसके दायरे में दिया नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं और मेरी दूसरी मांग है कि नागरिक सुविधाम्रों को भी म्राप इसके श्रंदर लाइये और यह विकेग ग्रुप की सिकारिश में से बड़ी प्रमुख रही है उसकी ग्रापने नुजरप्रदाज क्यों किया है ? यह मैं पूछता चाहंगी और मान करना चाहंगी कि उसको भी ग्राप उसके अन्दर लाइये।

इसी तरह से टेलीफोन सर्विसेज की हालत है । ब्राय टेलींफोन की दर बढ़ाते जायों गे. लेकिन टेलीफोन श्रापका खराब हो जाएगा तो आप महीनों उनके पीछे पड़े रहेंगे श्रौर श्रापका टेलीकोन ठीक नहीं होगा । जो सिवसेन देलीकोन डिगार्टमेंट स्वयं चलाता है, चाहे वह अलार्म सर्विस है, चाहे वह ट्रंककाल की सर्विस है, जो सॉवसेन जिनमें जवाब, विभाग के अधि-कारियों को देना होता है, विभाग के कर्नचारियों को देना होता है, धाप कभी म्राजमा करके देख लीजिए, भ्राप टलीफोन उपारेंगे तो या तो टेलीफोन एंगेज जाएगा या फिर नो रिप्लायी जाएगा। अगर वह व्यक्ति भ्रापको मिल जाए तो भ्राप बहुत भाग्यशाली हैं श्रगर उस पर किसी ने इंटी उठा ली। वरना लगातार रिंग ऐंगेज जाएगी या नो रिप्लायी जाएगा । मेरा यह कहने का मतलब है कि सरकार के एक:धिकार क्षेत्र में जो सर्विसेज, जो सेवाएं चल रही हैं वे सेवाएं ग्रीर उनकी कार्याकृशलता कर्ताई शुन्य है। वे रोज-रोज महंगी तो होती जा रही हैं लेकिन चुंकि प्रतियोगिता में कोई नहीं, एकाधिकार है, जैसे चाहेंगे चलायेंगे ग्रीर लोगों को लेना पडेगा क्योंकि ग्राप देने वाले एकमात्र हैं। कोई दूसरी प्रतियोगी संस्था है नहीं, जहां से **ग्राप बसूल कर सकते हैं। तो एकाधिकार** क्षेत्र की सेवाग्रों की कार्यकृशलता बढ़ाने के लिए तो यह कहीं ज्यादा जरुरी है कि ब्राप उपभोक्ता फोरम के दायरे में उनको लाएं वरना पीड़ित उपभोक्ता **की कहीं** कोई सुनवाई नहीं हैं । ग्रौर एकाधिकार क्षेत्र की सरकारी सेवाएं बद-से-बदतर होती ज। रही हैं । अगर आप उनको बेहतर बनाना चाहते हैं, उपभोक्ताश्रों को वाकई राहत देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहंगी कि आप इन सेवाम्रों को भी उनके मन्दर लाइए जोकि सरकार के एकाधिकार क्षेत्र में चल रही हैं तब इसकी सार्थकता ग्रीर ज्यादा बढेगी।

यह मेरी कुछ मांगें थीं, ग्रब मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं । विका ग्रुप ने धापको एक सिफारिश की थी कि जो जिलः फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम है, इनमें वकीलों को पैरवी करने की इजाजत मत बीजिए । मैं पूछना चाहंगी कि इस सिफारिश को न मानने के पीछी क्या ग्रीचित्य है ? हालांकि मैं स्वयं उसी व्यवसाय से अती हूं, इसलिए मैं यह बात कहं तो उसमें ज्यादा वजन होगा। **ऋगर कोई नॉन वकील या नॉन प्रोफेशनल** इस बात को कहेगा तो वह कहेगा कि ग्राप वकीलों के पेट पर लात मार रहे हैं, लेकिन मुझे इस तक में वजन दिखायी देता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह फोरम सस्ता और शीझ न्याय देने के लिए बनाए गए थे ग्रीर वकील जहां जाते हैं वहां एडजोर्नमेंट्स होते हैं ग्रीर तरह-तरह की तारीओं में साय जाता है ग्रीर सस्ता ग्रौर शीघ्र न्याय वेने का जो उद्देश्य है बहु उद्दश्य विफल् हो जाता है। इसलिए मैं जानना चाहंगी कि इस सिफारिश को न मानने के पीछे क्या तर्क रहा है, क्या सोच है ? मैं चाहंगी कि अगर यह पाबंदी लग जाय तो सस्ता और शीघ्र न्याय वालीबात श्रीर ज्यादा सार्थक हो सकेगी।

इसी तरह से इस फोरम के जो आँडर्स है या निश्चेश हैं, उनके खिलाफ हाइकोट में जाकर प्रपील कर के लोग स्टे ऑडर ले आते हैं। मुझे यह भी समझ नहीं भाता कि इनके प्रपीलेट राइट पर पाबंदी अगाने में क्या शङ्चन आ रही है क्योंकि पहले हम इसे लाने के उद्देश्य देखें, ग्रॉब्जेक्ट्स देखें वह हैं--सम्जा श्रीर कोन्न स्थाय व जल्दी राहत बिना चस्विधा के । चगर वह तमाम-की-तमाम चीजें जोकि बाकी भिविल प्रक्रिया में लाग् होती हैं, वह सारी प्रतियाएं ग्रगर हम इन फोरम्स पर भी लागु कर देंगे तो यह उन जैसी ही एक कोटं बनकर रह जाएगी ग्रीर भ्रतग से इन फोरम्स की कोई मार्थकता नहीं बचेगी। तो मैं जानना चाहंगी कि इनके पीछे क्या ग्रहचन है ? क्यों नहीं वक्तीलों पर वह पाबन्दी लगाना चाहते हैं भ्रीर ग्रपील का जो राइट है खास तौर पर जो रिट का राइट है कि 226 के नीचे जाकर लोग स्टेआर्डर ले ग्राते हैं. उसमें पाबन्दी लागने में क्या ग्रहचन है? यह मेरे प्रश्न हैं।

मैं इन प्रकों के साथ-साथ जो धार मंत्री महोदय ने अपने आने के बाद इन संशोधनों के माध्यम से विधेशक को दी है, उसका तो स्वागत करना चाहती हूं। जो मांगें मैंने रखी हैं, उन मांगों की मानने के बारे में वह आध्वातन देंगे, ऐसा विश्वास करती हूं और जो प्रश्न मैंने उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब चाहते हुए मैं लाए हुए बिल का स्वागत करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश पजौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधयक, 1993 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ़ हूं।

यह जिल कंज्यूमसं प्रोटेक्शन एकट, 1986 का एक संशोधित रूप है । इससे पहले भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के तहत सुविधा मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायतों का अवसर न ही, इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कई प्रकार के एक्ट समय-समय पर लाए गए हैं । इनमें एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 में पास हुआ, फिर एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में पास हुआ, इन्स एंड कॉस्मोटिक्स एक्ट 1940 में पास हुआ, एप्रोक्टचर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केंटिंग एक्ट 1937 में पास हुआ, मॉनो-

पोक्षीज एंड रिस्ट्निट**व ट्रेड प्रैनिटस एक्ट** 1969 में पास हुन्ना, स्टैड्डंस म्राफ बेट्स र्टंड मेजर्स एक्ट 1976 में पास हुम्रा ग्रौर 1985 में स्टेंड्डंस ग्राफ वेट्स एंड मेजर्स एनफोर्स मेंट एक्ट पास हुद्धा । इसके बाद भी कंजूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में संशोधन के लिए इसे दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की जहरत क्यों पड़ी, इस पर विचार करने की भ्रावश्यकता है । मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण के प्रति दिवंगत प्रधान मंत्री राजीव जी बहुत ज्यादा चितित थे। श्रौर उनकी हमेंशा यह मान्यता रही कि उपभोक्ता की किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में परेशानीयों का सामना न करना पडे । जब कंज्यमर प्रोटेशन एक्ट. 1986 पर मैं इस सदन में बोल रहा था, जब भगत जी ने इसको सदन में प्रस्तुत किया था तो राजीव गाधीं जी ने उस समय राजनीति में प्रवेश नहीं किया था श्रौर उन्होंने कन्ज्युमर प्रोटेशन फोरम हर जगह बनाए थे। इसके पी छे भाजना यड़ी थी कि उपभोक्ता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 1986 में कंज्य्यर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ , दोनों सदन ने सिको पास किया । देवने को बात यह है कि इस कंज्यमर प्रोटेशन एउट, 1986 के पास होने के बाद क्या प्रगति हुई ? इसमें क्या कमियां रहीं। इन सब बातों का आंकलन करना बात जरूरी है। जब हम इस पर नजर दोड़ाते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार के कदम इस एक्ट के पास होने के बाद उठाए गए-पहले कानुनी कदम थे, दूसरे प्रशासकीय कदम थे। पहले तो यह हुआ। कि इस कं यमर प्रोटेशन एक्ट के पास होने के बाद जो फोरम बनने थे, उनका राज्यों में गठन हया केवल जम्म-कश्मीर को छोड़कर देखने की बात यह है कि जब फोरम सभ, राज्यों में गठन हो गए, डिस्ट्क्ट लेवल पर प्रोविन्सियल लेवल पर ग्रीर नेशनल लवल पर, तो क्या उन्होंने भ्रपने उद्देश्यों की पूर्ति की ? इस बात पर भी गौर करना श्रावश्यक है।

उपसभाध्यक्ष महोदयः सेंट्रल कंज्यूपर प्रोटेक्शन कोन्सिल 1-6-1987 को बना

अभ सुरेश पचौरी]

उसके बाद फिर दूबारा यह 23-8-1990 को बना । इस बीच में इसमें 12 मीटिंग हुई। उनकी क्या प्रगति है ? इस पर गौर करना बहुत ज्यादा ग्रावश्यक है । इसके ग्रतिरिक्त 452 जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए, जबकि 468 जिले हमारे यहां हैं ? तो सारे जिलों में यह फोरम क्यों नहीं बन पाये और इन जिलों में डिस्ट्रिक्ट फोरम बनने में इतनी देर क्यों हुई ? इस बात का भी आंकलन करना जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में मुवमेंट ग्रौर कंज्यमर जब-जब कंज्युमर प्रोटेक्शन पर चर्चा हुई है, हमने हमेंशा इस मुद्दे को उठाया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां डिस्ट्क्टि फोरम का निश्चित समय में गठन नहीं हो पाया है। मैं जिस प्रदेश से श्राता हं, उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रदेश का मैंने जिक्र भी किया या कि वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने निश्चित अवधि में डिस्ट्विट फोरम का गठन पूरा पूरा नहीं किया था, जो बाद में सभी राज्यों में, सभी जिलों में, डिस्ट्विट फोरम का गठन हो गया। तो एक बात यह थी कि जिस मंशा से कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 बना था, उससे जो परिणाम निकलने थे वह परिणाम नहीं निकल पाए । उसमें व्यवधान पैदा हुए, उसमें कमियां रहीं और ग्रव 1993 में इसका ग्रमेंडमेंट फोरम ग्रा रहा है । ताकि उन कमियों का सामना न करना पड़े। तो इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो हाई पावर वर्किंग ग्रुप बना, उसकी क्या संस्तुति थीं, क्या रिकमडेशन थीं और इन रिकमण्डेशन का वयों पालन नहीं हो पा रहा है, इस बारे में मंत्री जी जरूर प्रकाश डालने की कृपा करें, जब वह श्रपना उत्तर दें । इसी के साथ-साथ ग्रौर भी बातें हैं, जिनका मैं जिक्र करना चाहंगा कि मंत्री जी, ग्रापने कुछ राज्यों में वित्तीय मदद देने का प्रावधान किया श्रोर यह वित्तीय मदद रुपए 3 लाख 30 हजार रुपए की पांच राज्यों की ब्रापने

दी, जिसमें तमिलनाड, ग्ररूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और सिक्किम आते हैं, जो एक स्वागत योख कदम है, लेकिन उपभोक्ता तो उपभोक्ता होता है, हर राज्य में रहने वाला जो नागरिक है वह उपभोक्ता ुकी श्रेणी में भ्राता है। यदि हम उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करते हैं तो जो मैनु-फैक्करार होता है या ट्रेडर होता है या शोपकीपर होता है वह भी किसी न किसी नजरिए से, किसी न किसी रूप में, इस रूप में या उस रूप में उपभोक्ताही हुआ। करता है। तो स्राधिर यह विसंगति क्यों है कि केवल पांच राज्यों को ग्र**ंपने तीन लाख** तीस हजार रुपये देने का प्रावधान किया है श्रौर ग्रन्य राज्यों को इससे अलग किया है ? मैं चाहूगा कि ग्रन्य राज्यों का भी सनावश करने की ग्राप कृपा करें।

उपभोनता संरक्षण के प्रति लोगों में जन-जागृति ग्राये, इसके लिये श्रापने तीन नेशनले अवार्ड प्रारभ किये हैं, वह श्राप में एक ग्रच्छाकदम है ग्रपमे श्रौर इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन बजटरी प्रोविजन जो है, बजटरी प्रोविजन यद्यपि भ्रापने बढ़ाया है जो पहले पांच लाख रुपयेथा 1986 में, जब कज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुमा था, वह बढ़कर 1992--93 में एक करोड़ हो गया और 1993-94 में 1.10 करोड़ है, मेरा कहना यह है कि यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिये आपको वित्त विभाग से निश्चत रूप से पहल करनी पड़ेगी कि यह जो बजटरी प्रोविजन है, जब कज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ग्राप श्रमेंडिट फार्म में यही सदन के माध्यम से पास करने जा रहे*हैं,* इसमें जो सारी चीजों का समावश किया है, वह इस वित्तीय परिधि के अन्तर्गत पूरा सभव नहीं हो पायेगा । आपकी जो मंशा है, जिस मंशा को ध्यान में रखते हुये म्राप यह बिल यहां प्रस्तुत कर रह हैं, वह पूरी हो पाये इसके लिये इस बजटरी प्रोविजन को बढ़ाना बहुत ग्रावश्यक ी है

कंज्यमर प्रोटेक्शन दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्चे को मनाया जाता है। प्रतिवर्षे 269

जग-जागरण के लिये, श्राम इंसान को उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी देने के लिए हम लोगतरहतरह के कार्यक्रम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सेमिनार करते हैं, भ्रलग-भ्रलग कार्यक्रम करते हैं। टेलीविजन के माध्यम से श्रीर जो दूसरे हमारे प्रचार के माध्यम हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों को जागत करने के लिये कई कार्यक्रम बनाये हैं। क्छ ऐसे कार्यक्रम हैं जो निश्चत रूप से हैं तो इंफारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग विभाग से संबंधित, लेकिन वह आपके उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाते हैं, परन्तु ऐसा होता भ्राया है कि उन कार्यक्रमों को पीछे यानी ब्राड टाइम में दिखाया गया है दूरदर्शन में जबकि ग्राम पब्लिक, जिसका सरोकार उपभोक्ता संरक्षण से है, वह सो जाया करती है - रात 10:00 बज के बाद । पहले बे उससे पहले समय में. दिखाये जाते थे कुछ सीरियल्स बने थे, लेकिन वे बाद में दिखाये जाते हैं। तो निश्चित रूप से भ्रापने जिस सकसद को ध्यान में रखते हुये जन जागति करने के लिए इस प्रकार के जिन कायकमों को प्रोत्साहन दिया है, निश्चित रूप से ग्राप अपनी तरफ से पहल करगे कि वह कनी दूर हो पाए।

विदेशों में खासतीर से इंग्लैंड में, ग्रमरीका में, न्यूजीसैंड में, श्रास्ट्रेलिया में उपभोक्ताम्रों के हितों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है ग्रीर उन हिती को मद्देनजर रखते हुए ही हमारे यहां समय-समय पर यह कानून बनाये गए। उनका भी हवाला पिछले समय कन्ज्यमर प्रोटेक्शन एक्ट जब 1986 प्रस्तुत किया था तत्कालीन मंत्री जी ने तो उन्होंने हवाला दिया था कि विदेशों में भी उपभोक्तात्रों को किस-किस प्रकार के **प्रधिका**र दिये गए हैं। 1991 में भी भ्रापने ज्युडिश्यरी की थी टायर सिस्टम किया, लेकिन इसमें जो तीन-चार वि-संगतियां हैं, उनकी चर्चा करना बहुत ज्यादा भावश्यक है। पहली बात तो यह है, जिसका उल्लेख मेरे से पूर्व वक्ता सुवमा जी ने किया कि जो डिस्टिक्ट फोरम्स हैं, जो स्टेंट लेवल के फोरम्स हैं,

वह जो निर्णय कर देते हैं, उनको चैलैंज करने के लिये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्टाकिस्ट होते हैं, वे कोट में चले जाय[ा] करते हैं और वहां से उस कार्रवाई का वें स्थान ले लेते हैं। जब हमने डिस्ट्वट लेवल की फोरम में कौन-कौन सदस्य रहेंगे, स्टेट लेवल की फोरम में कीन कौन सदस्य रहेंगे, नेशनल फोरम में कौन-कौन लोग रहेंगे, उनमें भी ज्युडिश्यरी का प्रावधान किया है तो मैं नहीं समझता कि एसी व्यवस्था की गंजालें होनी चाहिये कि लोग कोर्ट में चे लेंज करने के लिये या उस निर्णय को परिवर्तित करने के लिये चले जाएं जो निर्णय डिस्ट्विट फोरम या स्टेट फोरम के माध्यम से किया गया है। इस विसंगति को दूर करना बहुत ज्यादा भ्रावश्यक होगा । इस पर निश्चित रूप से माननीय मत्री जी विचार करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध

इसके ग्रलावा जो श्राप ग्रभी वर्तमान में बिल प्रस्तृत करने जा रहे हैं, उसमें जिन प्रमुख बिल्दुश्रों पर श्रापने ध्यान दिया है, उन पर बहुत ज्यादा सर्तकता बरतने की आवश्यकता है। पहली तो यह है कि ड्रग्स ग्रीर फार्मास्य टिकल्स कम्पनी जो है, वह अक्सर दवा मेन्द्रफैश्चर करती है । उसी की सील लेकर दूसरी नकली कम्पनी भी दवा मेन्युफक्चर करती है। और उस रेट से सस्ते रेट पर मार्केट में वह दवा उपलब्ध हो जाती है। इससे भी गंभीर बात यह रहती है कि जो एक्सपायरी डेट होती है वह एक्स-पायरी डेंट होने पर भी उस दवा की विक्री मार्केट के माध्यम से हो जाती। है, क्योंकि हमारे यहां रेट **उ**तना हाई । खास तौर से जो हमारा ग्रनपढ़ उपभोक्ता है, ट्राइबल एरिया का जो उपभोक्ता है वह इस तारीख को पाता है । इसके श्रक्तिरिक्त िहिस्सा फाड़ दिया जातः है और इस तरह उन दवाओं की बिकी है । इसका जो प्रावधान ग्रापने इस बिल में किया है वह निश्चित रूप में एक स्वागत योग्य कदम है।

[भी सुरेश पचौरी]

271

जो एल०पी०जी० डीलर्स हैं वह भी इस बात के लिये जोर देते थे कि **गैस** स्टोव उनसे लिया जाना म्रावश्यक । इससे भी श्रापने मुक्ति दिलाई हैं। वह भी एक श्रच्छा कदम है। एडवरटाईजमेंट देकर जो पेशेवर लोग थे वह लोगों से पैसा प्रजित कर लेते थे कि हम लोगयह एजेंसी देरहे हैं, इसके लिये श्राप इतना पैसा पहले एडवांस में दीजिये श्रीर बाद में पता यह चलता था कि वह सब नकली विज्ञापन रहा करते थे ग्रौर एक छलावे के तौर पर वह सब होता था। इससे कई उपभोक्ता प्रभावित होते थे यौर सोचते थे कि इसका स्कीप है।/तथा एल जी जी नई डीसरशिप श्रूह हो गई है। तो वह अलग-अलग प्राईबट कम्पनी के नाम पर एडवरटाईजमेंट दे देते हैं ग्रीर कह देते हैं कि ग्रापको पहले 5 हजार रुपये का ड्राफ्ट भेजना होगा श्रीर तब बाद में पता चलता था कि उस नाम की कोई भ्रायोराइज्ड एजेंसी ही नहीं हैजो कि दूसरों को डीलर्राशप देती हो । उसके लिये भी स्रापने जो यह प्रावधान किया है, वह भी एक ग्रच्छा कदम है।

मकानदार ग्रौर किरायेदार से संबंधित जो परेशानी हैं, उस पर जो भ्रापने श्रपना ध्यान केन्द्रित किया है, वह बहुत श्रावश्यक भी था । श्रक्सर यह देखा जाता है कि जो बिल्डर्स हैं वह सकान बना देते हैं लेकिन उनमें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराते, जो कि पूरे सकान में एक परिवार के लिये ग्रातक्यक होती है । जैसे शौचालय की व्यवस्था है, स्टोर की व्यवस्था है ग्रौर किचिन की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त जो है उसमें सीलन भ्राती दीवर होती रहती है, जिससे कई प्रकार की बीमा-रियों का शिकार किरायेदार की होना पड़ता है । इन चीजों से मुक्ति िलाने के लिये भी जो प्रोविजन इस बिल में किया है वह ग्रन्धा कदम है जिससे उपभोक्ता फोर्म में जा सक ग्रौर ग्रपनी बात रख सके भार उस मकानदार को सजा दिला सके।

इसके ग्रलावा और भी जो विसं-गतियां थी, उनको दूर करने के लिए इस बिल में जो श्रापने कदम उठाए हैं, जैसे कि श्रन-फेयर ट्रेड प्रेक्टिस हैं ग्रौर जो सर्विसेज में कमियां हैं जिसका उल्लेख भी सूषमा जी ने किया है, उनको दूर करने के लिये भ्रापने जो इस बिल में व्यवस्था की है, वह एक ग्रच्छा कदम है। साथ ही जो लोग झठी शिकायतें फंशन के तौर पर कर देते हैं, उसका उल्लेख भी ग्रापने ग्रपने इस बिल में किया है ग्रौर उसमें धारा 26 का जो आपने प्रति-स्थापन किया है वह एक अच्छा कदम है। साथ ही जो सलेक्शन कमेटी है उसमें जो नान-जुडिशियल मेंबर्स हैं, उनको। रखने का जो भ्रापने प्रोविजन किया है वह भी एक ग्रन्छ। कदम है ग्रीर साथ ही कंज्यमर फोर्म की जो वित्तीय श्रधिकार श्रापने बढ़ाने की बात की है, यह एक भ्रच्छी पहल है। 20 लाख रुपये से जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड की म्रापने शुरुश्रात की है और उसके माध्यम से जो कई बोल्यंटरी श्रापीनाइजेशंस हैं, जो कि कंज्युमर प्रोटक्शन के लिये काम कर रही है, उसमें निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा, ऐसा मेरा विचार है । लेकिन यह राशि पर्याप्त महींं∤ है । लेकिन जो बोल्यंटरी ग्राग-नाइजेशंस के क्षता में काम कर रही है उनके लिये 20 लाख रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं । दरग्रसल, बीस लाख रूपये तो 5-6 जो बड़े राज्य हैं उसमें जो कंज्यमस से कसर्न्ड गोल्युटरी स्नार्गें-नाइजेशन काम कर रही हैं, उन्हीं पर खर्च हो जायेगा । इसि ए इस राशि को भी बढ़ाने पर ग्राप विचार करेंगे, ऐसा मेरा निबंदन है। मैं कुछ श्रांकडों की तरफ ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हं कि कम्प्लेंट्स की संख्या 1992 में राज्यों में क्या है श्रीर ग्रलग-स्रलग उनका डिस्पोजल किस गति हम्रा है । गुजरात में 1177 कंप्लेंट्स फाईल की गई ब्रीर उनमें से 551 का डिस्पोजल हुन्ना । महाराष्ट्र में 1184 कंप्लेट्स फाईल की गई भौर उनमें से 444 का डिस्पोजल हुआ। मध्य प्रदेश में 107 में से 32 कंप्लेंटस का डिस्पोजल हुआ भौर उत्तर प्रदेश में 1035 में से 509 कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ। दिल्ली में 1240 कंप्लेंट्स फाईल की गई श्रीर उनमें से 534 का डिस्पोजल हुआ। ये ऐसी गति है जिसमें इप्रूवमेंट की जरूरत है। यदि श्रोवरहाल फिगर हम देखें तो एक लाख, 5096 में से 4354 कप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ है। हिमाचल में 7000 कंप्लेंट्स पाँडग हैं। यह श्रापके शासन काल की बात हैं ''(स्यवधान

श्री कैलान नारायण सारंग (सब्ध प्रदेश) : हमने तो सहकारी संस्थाएं बनाई थीं और उनको राजन की दुकाने दिलाई गई थीं ' ' (व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, श्रभी मेरे माननीय साथी ने सहकारी संस्थाओं को राशन शापदेनेकीबात उठाई। पहले जो सरकारी दकान मिली हुई थीं उनमें ऐसे लोग भी शामिल ये जो विकलांग थे, जिनमें विधवा महिलाएं थीं, तलाकश्दा महिलाएं थीं । उनकी दुकाने छीनकर ईर्ष्या और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोश्रापरेटिव सोसायटीज के माध्यम से श्रार एस एस. के पट्ठों को मध्य प्रदेश में श्रलग-श्रलग जगहों पर दुकाने दी गई जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मैं चाहंगा कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तों वह इस बात को स्पष्ट करें कि कोग्रा-परेटिव सोसायटीज के माध्यम से जिन लोगों को दुकानें दी गई हैं, क्या उनकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं।

श्री कैलाश भारायण सांरग: जो कांग्रेसी लाखों जपये कमा रहे थे, उन कांग्रेसियों की दुकानें छीनकर हमने सहकारिता के ब्राधार पर दुकान दी थीं । सहकारिता ब्रांदोलन में तुमने ब्राग लगा दी है।

श्री मुरेश पचौरी : मान्यवर, मान-वीयता के नाम पर इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता है कि वह अपाहिज में अपर्व का लालन-मालन उस दुकान के माध्यम से करते थे, उनकी दुकानें इन्होंने छीनीं ग्रौर ग्रपने ग्रार. एस.एस. के पट्ठों को सोसायटी बनाकर दे दी।

श्री कैलाश नारायण सारंग : श्रपा-हिजों की तो दुकाने वसी की वसी रहीं । हमने कांग्रसियों की दुकान छीनीं श्रौर सहकारिता श्रांदोलन को प्रोत्साहित किया ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, कोमा-रेटिव सोसायटीज को जब ये देत वे तो कांग्रेस की सोसायटी : को इन्होंने नजरश्रंदाज किया । उनको दुकानें नहीं दीं ।

उपसमाध्यक (श्री मोहम्मद सलीम) : कोग्रापरेटिव तो कोग्रापरेटिव है, चाहे वह कांग्रेस की हो या कोई ग्रीर हो।

श्री कैलास नाराधण सारंग: इन्होंने जड़ खोदी हैं। इन्होंने सहकारिता ग्राँदों तन की जड़ खोदी हैं।

भी सुरेश पचौरी : महोदय, अभी न्यायालय ने निषय दिया है श्रीर जिन लोगों की दुकाने छीनीं थीं उनको वापस दे⁻ दिया मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उपभोक्ता के लिए प्रावश्यक यह होता है कि उस को सही दाम पर, सही समय पर, सही रूप में उसके लिए जो आवश्यक वस्तु हैं उसको मिले। सही समय पर मेरा ग्राशय यह होता है कि राभ्रन शाप्स के माध्यम से जो राशन ग्राप उनको देते हैं पहले हवते, दूसरे हवते और तीसरे हफ्ते उपभोक्तायों को सामग्री मिलनी चाहिए लेकिन वह उपलब्ध नहीं होती है। उस के पीछे वास्तविकता यह रहती है कि लेबर क्लास को पेमेंट दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में होता है। तब तक राशन शाप वाला यह कह देता है कि राशन पहले हफ्ते में खतम हो गया था दूसरे हफ्ते में खत्म हो गया और वह सामान ब्लैक मार्केट में देच दिया जाता है। इसलिए पहिलक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम के ग्रंतर्गत जो राशन शाप्स का वितरण िकया जाता है यह देखा जाना ग्रावश्यक है, यह सुनिश्चित किया जाना प्रावश्यक है कि जो थोक 🥤 जैसे मिसाल

[श्री स्रेश पचौरी]

के तौर पर जो चावल और गेहूं के व्यापारी हैं उनसे संबंधित राधन प्राप्त का आवंटन नहीं करना चाहिए वरना अच्छी क्वालिटी का जो राधन होता है वह उन दुकानों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वस्ट क्वालिटी का और मीडियम क्वालिटी का राधन लोगों को दिया जाता है। सही रूप में मिले, सही दाम पर मिले, सही स्थिति में मिले।

श्रीमन्, फुड कॉरपोरेशन ग्राफ इंडिया में जो सड़ा हुआ सामान रहता है, ऐसर उनमें तालमेल हो जाता है कि वह सामान इन दुकानों के माध्यम से लोगों को देकर खपाया जाता है। सही रूप में से मेरा मतलब यह होता है कि एक किलो सामान दिया जाना चाहिए जो 950 ग्राम दिया जाता है। बेट्स एंड मीजरपेंटस ऐक्ट के ग्रंतर्गत जो नियम बने हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, उस पर चौकसी रखना भी बहुत आवश्यक है, मैं इससे पहले कि अपनी बात खत्म करूं यह भी उल्लेख करना म्रावश्यक समझंगा ग्रीर इस बात पर जोर देना ग्रावश्यक समझंगा कि ग्राम इंसान के लिए जो बुनियादी प्रावश्यकताएं हैं वे उनको म्हैया कराई जा सक, उन सब चीजों को परिधि में लाना बहुत ग्रावश्यक हैं। वह चीज क्या हैं, वह चीजें हैं स्वास्थ्य सुविधा, पानी, बिजली की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जो ग्रावश्यकतायं बुनियादी हैं उनको भी इस बिल के श्रंदर शामिल किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं विनम्प्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि फिजिशियेंस की भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। न करने का ग्रर्थ है कि जो ग्रादमी जिम्मेदार है उनको अप जिम्मेदारी से मुक्ति दिला रहे हैं, उनको उनके उत्तरदायित्व से उसके नि<u>ंह</u>न से मुक्त कर रहे हैं, उस को स्व छंद छोड़ रहे हैं, स्वतंत्र छोड़ रहे हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वेष्ठन करे। इसलिए यह प्रावश्यक है कि कंज्यमर प्रेटिक्शन बिल जो ग्राप लाए हैं ग्रौर 1986 के ऐक्ट को ग्राप भ्रमेंड करके यहां प्रस्तुत कर रहे हैं तो चिकित्सकों को री इसमें शामिल करें।

चौछरी हरि सिंह (उसर प्रदेश): सर्जन्स को भी इसमें रखा जाए :...

श्री सुरेश पर्वारी: उन लोगों को भी इस बिल में शामिल करें, ऐसा मेरा श्रनुरोध है। श्रापने जो श्रीधकार कार्यक्रम चलाया है, श्रापने उपभोक्ता जनजागरण पतिका चलाई, उसका मूवमेंट तेज किया जाना बहुत श्रावश्यक है।

साथ ही आपने धारा 9, 10 शीर 11 का जो संशोधन किया है नह स्वागत योग्य कदम है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि
दूरभाव की जो सुविधा है, पानी की जो
सुविधा है, बिजली की जो सुविधा है
इसको भी किसी न किसी रूप में समाविद्ध इस बिज में करना चाहिए। इस विल के
माध्यम से उन पर अंकुश त्याया जानः
बहुत ग्रावश्यक है वरना लोगों की जो
बुनियादी आवश्यकतायें हैं, वह उनको
मिल नहीं पायेंगी, उनसे वह लाभान्वित
नहीं हो पायेंगे। साथ ही जो उपभोक्ता
संरक्षण की भावना है जो हमने नया 20
सूत्री कार्यक्रम बनाया है इसमें 21वां सूत
जो उपभोक्ता संरक्षण का है वह भी रखा
जाए तो उन भावनाओं की पूर्ति हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ श्रापने जो कंज्यूमस प्रोटेक्शन बिल 1993 प्रस्तुत किया है, उसका में समर्थन करता हूं इस श्राशा और उम्मीद के साथ इसमें जो छोटी मोटी वास्तविकतायें रह गई हैं, श्राम उपभोक्ताओं की छोटी मोटी परेशानियां रह गई हैं, उनको दूर करने के लिए फोई न कोई निदान निकाल सकेंगे, उसको कोई उपाय निकाल सकेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संरक्षण विधयक, 1993 पर हम विचार कर रहे हैं। यह संशोधन विधयक मूल विधयक में दूसरा संशोधन है। सवा वष पहले ऐसा ही एक संशोधन मंत्री महोदय लाये थे लेकिन वह संशोधन निहायत ही तकनीकी कारणों का था। उस विधयक के ढांचे में इतनी तकनीकी खामियां धीं कि उसके चलते यह देखा गया कि 1986

के बाद 1991 के इस पांच वर्षों में सिर्फ थोड़ बहुत डिस्ट्रिक्ट मंच, जिला पीठ बने थे और उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। संशोधन विधेयक निहायत ही तकनीकी खासियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब मंत्री महोदय एक व्यापक संशोधन ले कर ब्राये हैं। जब दूसरा संजोधन विधयक ग्राया था उस समय यह मांग उठी थी कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में व्यापक स्तर संशोधन की जरूरत है। ग्रीर उसकी रोशनी में मंत्री महोदय ने एक उच्च स्तरीय कार्यदल स्थापित किया था जिसने कई सिफारिश की थी। उन सिफारिशों की रोशनी में यह उपभोक्ता संरक्षण विश्लेषक हमारे सामने शस्तुत किया गया। 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस नीति प्रस्ताव से प्रेरित होकर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बनाया गरा जिसे हमारे सामाजिक. आर्थिक विदानों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक श्रीर महत्वपूर्व विधेयक का दर्जा दिया ग्या उस विभेयक की प्रगति के बारे में 1991 में जब हमने चर्चाकी थी तो देखा यह गया था कि उ वर्षों में कुछ दुकानदारियां जरूर खुल गईं, राष्ट्रीय श्रीर राज्य स्तर पर भ्रायोग गठित हो गये, कुछ जिलों में में भी जिला मंत्र गठित ही गये लेकिन व्यवहार में यह विधेयक सिर्फ कोरा कागज ही वना रहा। भारत के उपभोक्ताओं से इसका कोई गहरा सम्पर्क नहीं बन पाया। मैं जिस बात की क्रोर मंत्री महोदय का ध्यान प्राकषित करना चाहती हूं वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस नीति प्रस्ताव से प्रेंचित होकर तनाम देशों की तरह हमने भी अपने देश में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बनाया हम सभी इस बात से सहमत होंगे या इस बात को जानते हैं कि अर्थ व्यवस्था के नियम सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं होते, इस लिए श्रापके इरादे कितने ही नेक हों. आपके उद्देश्य कितने ही नेक क्यों न हों उनका कारगर फल हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे नेक उहेश्यों हमारे सब उद्देश्यों का सम्पर्क हमारे देश की वस्तुगत भौतिक, सामाजिक परिस्थितियों के सःयं भल खाते हों। इस संदर्भ में जब हम उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1993 पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने

जो सवाल भाता है वह बहुत ही बुनियादी सवाल है। इस बृनियादी सवाल पर 1991 में बोलते हुए मैंने कहा था। श्राज भी मैं इस बनियादी सवाल को उठा रही हूं। सवाल यह है कि ग्राप जब उपभोक्तांग्री के संरक्षण की बात करते हैं तो उपभोक्ता क्या है हमारे देश के श्राम उपभोना की तस्वीर क्या है ? हभारे देश के श्राम उप भोक्ता की तस्वीर क्या हमारी सकार के सामने है ? इस दृष्टि से अगर हम इस उपभोक्ता संरक्षण विधियक को देखते हैं तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान भ्राकृषित करकाना चाहती हूं अपने देश के बहुत-बहुत 5.60P.M. ही नगण्य यथार्थ से। यथाथ क्या है ? खुद सरकारी ग्रांकड़ें इस बास के गवाह हैं कि हमारे देश की 35 फीसदी से अधिक याबादी गरीदी की सीमा रेखा के नीचे रह रही है। हकीकत क्या है कि ह[ा]र दश के गांदों और शहरों के 75 फीस दी से अधिक असंगठित मजदूर सिर्फ दो जून की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे कुछ साथी शायद एतराज उठा सकते हैं कि ग्रापने तो फिर वही प्रानी रट लगा दी है। समय बहुत आगे वढ़ गया है विश्व बहुत आगे बढ़ गया है बहुत तेज गति से वीड़ रहा है ग्रापकी गति बहुत धीमी है। मैं यह कहना चाहंगी कि नि.संदेह विश्व शागे बढ़ गया है, हमारा देश आगे बढ़ गया है, लेकिन जहां तक हमारे देश के गरीब मेहनतकश अवाम का सवाल है, गरीब मेहनतकश ातता का सवाल है, उसकी दुवंशा में कहीं कोई फकं नहीं भ्रामा है। उसकी जिन्दगी वहीं ठहरी हुई है।

उनभाध्यक्ष (श्री मोहस्मद स्लीम): सरला जी, आप और बोलगी या दो-चार मिनट में खत्म कर देगी?

श्रीमती सरला महिश्वरी : मैं बोलना चाहगी। ८

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM); So, you continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

> The House then adjourned at two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 27th July, 1993.